न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(कल्पना अग्रवाल,आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03/2025
प्रविष्टि दिनांक 28.01.2025

जरिये अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह
– प्रार्थी

बनाम

श्री रोडू लाल अग्रवाल पुत्र श्री मदनलाल अग्रवाल निवासी फर्म मालिक अग्रवाल स्टेशनरी एंव जनरल स्टोर स्टेट बैक के पास जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला केकडी हाल टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी – स्वंय उपस्थित

निर्णय दिनांक 31.07.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी के निर्देशन में दिनांक 09.09.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह को दूरभाष पर अवैध गैस रीफिलीग की शिकायत प्राप्त होने पर जाच करने वास्ते अग्रवाल स्टेशनरी एवं जनरल स्टोर, स्टेट बैंक के पास, जयपुर रोड, टोडारायसिंह पर पहुंचा मौके पर एक मारूती वैन चालक दूर से ही वैन को भगाकर ले गया मौके पर उक्त फर्म के दुकान एव सटे हुये घरेलु परिसर की जांच करने पर 05 घरेलु गैस सिलेण्डर पाये गये जिनमें से एक गैस सिलेण्डर एक इलेक्ट्रिक मोटर एवं वायर/पाइप/वाल्व से जुडा हुआ पाया गया है। मौकें पर वक्त जॉच दुकान मालिक श्री रोडूलाल अग्रवाल उपस्थित मिला। मौके पर टोडारायसिंह गैस सर्विस टोडारायसिंह कार्यकतां श्री सुरज्ञान गुर्जर को बुलाकर तौल कार्यवाही करवायी गयी जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है –

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्व गैस

जिला कलेक्टर
टोंक

1	002805	INDIAN	18.675	15.4	3.275
2	448178	INDIAN	15.575	15.6	-0.025
3	185672E	INDIAN	15.900	15.9	0
4	240407	INDIAN	15.300	15.6	-0.3
5	486997E	INDIAN	29.770	15.7	14.07
					17.345

इस प्रकार श्री रोडूलाल अग्रवाल द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघन किया है।अतः उक्त जब्तशुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 17.345 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए,उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी के निर्देशन में दिनांक 09.09.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह को दूरभाष पर अवैध गैस रीफिलीग की शिकायत प्राप्त होने पर जाच करने वास्ते अग्रवाल स्टेशनरी एवं जनरल स्टोर, स्टेट बैंक के पास, जयपुर रोड, टोडारायसिंह पर पहुंचा मौके पर एक मारूती वैन चालक दूर से ही वैन को भगाकर ले गया मौके पर उक्त फर्म के दुकान एव सटे हुये घरेलु परिसर की जाच करने पर 05 घरेलु गैस सिलेण्डर पाये गये जिनमें से एक गैस सिलेण्डर एक इलेक्ट्रिक मोटर एवं वायर/पाइप/वाल्व से जुडा हुआ पाया गया है। मौके पर वक्त जॉच दुकान मालिक श्री रोडूलाल अग्रवाल पुत्र श्री मदनलाल अग्रवाल उपस्थित मिला जिन्होंने पूछताछ करने पर बताया की वह आम लोगों से 860 रूपये में गैस सिलेण्डर खरीदता है एवं 950 रूपये प्रति गैस सिलेण्डर के हिसाब से रीफिलींग हेतु विक्रय करता है। मौक पर श्री रोडूलाल अग्रवाल ने गैस रीफिलींग/भण्डारण/स्वामित्व के विषय में पूछताछ करने पर कोई सतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है न ही इस बाबत कोई लाईसेंस/परमिट/दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये है। उक्त गैस सिलण्डर (INDANE) मार्का के पाये गये, मौके पर टोडारायसिंह गैस सर्विस टोडारायसिंह कार्यकर्ता श्री सुरज्ञान गुर्जर को बुलाकर तौल कार्यवाही करवायी गयी। श्री रोडूलाल अग्रवाल द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघन किये जाने के कारण उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 17.345 किलोग्राम एलपीजी एक इलेक्ट्रीक मोटर MASCOT मार्का मय 02 प्लास्टिक पाईप मय वायर रीफिलींग पिन/वाल्व को जब्त सरकार कर मैसर्स टोडारायसिंह गैस सर्विस टोडारायसिंह के मैनेजर श्री रतनलाल जाट को अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया है,जिसका फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा

जिला कलेक्टर (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

पृथक से तैयार कर सलग्न फर्द किया गया है। श्री रोडू लाल अग्रवाल द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) सी. एवं 7 (1) सी का उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्तशुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 17.345 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है,जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 09.09.2024 के अनुसार श्री रोडू लाल अग्रवाल पुत्र श्री मदनलाल अग्रवाल निवासी फर्म मालिक अग्रवाल स्टेशनरी एंव जनरल स्टोर स्टेट बैक के पास जयपुर रोड टोडारायसिंह की दुकान/व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 Kg क्षमता के 05 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर अवैध गैस रीफिलींग के कार्य मे प्रयुक्त किया जा रहा था। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्व गैस
1	002805	INDIAN	18.675	15.4	3.275
2	448178	INDIAN	15.575	15.6	-0.025
3	185672E	INDIAN	15.900	15.9	0
4	240407	INDIAN	15.300	15.6	-0.3
5	486997E	INDIAN	29.770	15.7	14.07
					17.345

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर सुरज्ञान,शुभम अग्रवाल तथा रोडूलाल के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी सुरज्ञान,शुभम अग्रवाल तथा रोडूलाल के हस्ताक्षर है तथा मैसर्स टोडारायसिंह गैस सर्विस टोडारायसिंह के प्रतिनिधि श्री रतन लाल जाट के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से अवैध गैस रीफिलींग के कार्य मे प्रयुक्त कर दुरूपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 05 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 17.345 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)